

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
(शिवचरण मीना, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक
निर्णय दिनांक

01 / 2022
12.05.2022
05.05.2023

सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक जिला टोंक

..... सायल

बनाम

श्री मुकेश उर्फ मुकत्या पुत्र नवरतन जाति गुर्जर थाना सदर टोंक निवासी अन्नपूर्णा डूंगरी
बम्बोर रोड टोंक गैर सायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :- 1- अभियोजन अधिकारी, राजकीय परोकार
2- गैर सायल एवं उनके अभिभाषक श्री मनोज गुप्ता एड.

निर्णय

दिनांक 05.05.2023

पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा गैर सायल मुकेश उर्फ मुकत्या पुत्र नवरतन जाति गुर्जर थाना सदर टोंक निवासी अन्नपूर्णा डूंगरी बम्बोर रोड टोंक के विरुद्ध यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल अपराधिक प्रवृत्ति में लीन है, अतः गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बनी रहे।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन / वारन्ट की गई। परन्तु गैर सायल उपस्थित नहीं हुआ। गैर सायल को जमानती वारन्ट जारी किए गए। गैर सायल मय अभिभाषक उपस्थित हुआ। गैर सायल को आरोप इस्तगासा पढकर सुनाया गया गैर सायल द्वारा आरोपों को स्वीकार किया गया तथा लिखित में जवाब पेश करने से इन्कार किया गया। बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए हैं। गवाहान जो प्रेशिक्यूशन ने प्रस्तुत किये हैं उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। गैर सायल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता है। गैर सायल के विरुद्ध अभियोग क्रमशः 118/2016 दिनांक 22.07.2016 थाना सदर टोंक, 65/2018 दिनांक 15.07.2018 थाना पुरानी टोंक व 120/2018 दिनांक 30.06.2018 थाना सदर टोंक धारा 19/54 Exc Act में दर्ज होकर तीनों प्रकरणों में गैर सायल को सजा सुनाई गई जिनसे संबंधित चालान न्यायालय प्रस्तुत किये गये। अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि गैर सायल बचपन से ही गलत



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

संगत में पडकर शराब पीने लग गया और अपनी शराब की लत पूरी करने के लिए अवैध शराब रखने व बेचने लगा एवं लड़ाई झगडे करने लग गया है। गैर सायल की इन अपराधिक गतिविधियों से समाज के लोगों पर काफी बुरा असर पड रहा है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किया जावे।

गैर सायल के अभिभाषक ने कथन किया कि पूर्व में जिन प्रकरणों में आरोप लगाये गये है वह केवल धारा 19/54 Exc Act के है न कि किसी बडे अपराध अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि के है तथा गुण्डा एक्ट के तहत किसी भी अपराधी का आदतन अपराधी होना आवश्यक है किन्तु इस संबंध में प्रार्थी मुल्जिम का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रकरणों का पूर्व में निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। लिहाजा इस्तगासा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा अभियोजन अधिकारी एवं अभिभाषक गैर सायल की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा गुण्डा एक्ट की धारा 3(3) में प्रस्तुत किया है तथा गैर सायल के विरुद्ध उक्त प्रकरण शराब रखने व बेचने आदि से संबंधित है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि गैर सायल शराब पीने, शराब रखने व बेचने का आदी है इस कारण समाज के लोगों पर निश्चित रूप से बुरा असर पड रहा है तथा भविष्य में भी गैर सायल अपराधिक कार्य को अंजाम दे सकता है। इसलिए इस अपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए समाज हित में शांति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट तथा दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार कर गैर सायल सायल मुकेश उर्फ मुकत्या पुत्र नवरतन जाति गुर्जर थाना सदर टोंक निवासी अन्नपूर्णा डूंगरी बम्बोर रोड टोंक को दिनांक 05.05.2023 से 15.07.2023 तक की अवधि के लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना सदर जिला टोंक से पुलिस थाना मेहन्दवास जिला टोंक के लिए निष्कासित किया जाता है तथा उसे पाबन्द किया जाता है कि वह प्रकरण में अंकित अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मेहन्दवासा जिला टोंक के यहां प्रतिदिन हाजरी दर्ज करावेगा। इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना मेहन्दवास जिला टोंक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे। फैसले की प्रति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफतर हो



(शिवचरण मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक